email:- forcejhq@gmail.com

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांक: स्था./4/सी.भ./च.श्रे.से./2018पार्ट/ 50512-40 दिनांक:- 01-01-2019

आदेश

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 के नियम 24 के अन्तर्गत कारागार विभाग में चतुर्थ श्रेणी सेवा के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु गठित चयन समिति द्वारा निम्नांकित अभ्यर्थियों को नाई, कुक एवं सफाई कर्मचारी के पद पर चयन किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित शर्तों के अधीन राजस्थान कारागार विभाग में कार्यभार सम्भालने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि पर उनके नाम के सामने अंकित कारागृह पर पदस्थापित किया जाता है।

नव नियुक्त अभ्यर्थी आधारभूत प्रशिक्षण हेतु प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर के समक्ष दिनांक 15.01.2019 को आवश्यक रूप से उपस्थित होवें। साथ ही शपथ पत्र संलग्न प्रपत्र अनुसार तैयार करवाकर एवं 6 फोटो (जो कि मेडीकल के समय प्रस्तुत की गई थी) आवश्यक रूप से साथ लेकर आवें।

क्र. सं.	पदनाम	नाम अभ्यर्थी मय पिता का नाम	जाति श्रेणी	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान
1.	नाई	श्री हरिश चन्द्र पुत्र श्री शंकर लाल	सामान्य	01.07.1987	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर
2.	नाई	श्री बृजेश कुमार चांगल पुत्र श्री राजेश कुमार चांगल	सामान्य	17.12.1983	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर
3.	नाई	श्री दीपक कुमार पुत्र श्री चम्पा लाल	सामान्य	15.07.1990	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर
4.	कुक	श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री धर्मपाल	सामान्य	10.02.1985	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर
5.	कुक	श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री लाल सिंह	सामान्य	28.01.1994	कारा. प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर
6.	सफाई कर्मचारी	श्री दातार सिंह शेखावत पुत्र श्री अर्जुन सिंह	सामान्य	02.11.1996	जिला कारागृह, जयपुर
7.	सफाई कर्मचारी	श्री रविकान्त गेचन्द पुत्र श्री सुरेश गेचन्द	सामान्य	04.01.1992	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर
8.	सफाई कर्मचारी	श्री रविन्द्र उमरवाल पुत्र श्री प्रभात उमरवाल	सामान्य	03.04.1989	जिला कारागृह, बाडमेर
9.	सफाई कर्मचारी	श्री हरिशंकर पुत्र श्री रामजी लाल	सामान्य	18.10.1986	उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर
10.	सफाई कर्मचारी	श्री विजेन्द्र पुत्र श्री ओम प्रकाश	सामान्य	10.05.1986	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर
11.	सफाई कर्मचारी	श्री शीशराम सैनी पुत्र श्री गणपत राम सैनी	ओबीसी	15.07.1994	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर
12.	सफाई कर्मचारी	श्री राजू पुत्र श्री मजीद खां	ओबीसी	10.11.1981	जिला कारागृह, सवाईमाधोपुर
13.	सफाई कर्मचारी	श्री सतीश कुमार गमेती पुत्र श्री जीवा गमेती	एसटी	22.02.1991	केन्द्रीय कारागृह, अलवर

email:- forcejhq@gmail.com

14.	सफाई कर्मचारी	श्री राज कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण दास	एसटी	04.10.1986	जिला कारागृह बीकानेर
15.	सफाई कर्मचारी	श्री विकास कुमार मीना पुत्र श्री देवी लाल मीना	एसटी	11.07.1993	जिला कारागृह, सिरोही
16.	सफाई कर्मचारी	सन्तरा कुमारी मीना पुत्री श्री सुखराम मीना	एसटी	13.09.1995	केन्द्रीय कारागृह, अलवर

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ-डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधानों के तहत रूपये 12400/- प्रतिमाह की दर से नियमित पारिश्रमिक देय होगा एवं परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही चतुर्थ श्रेणी सेवा पद का पे मेट्रिक्स के लेवल-L-I में न्यूनतम वेतन अनुज्ञात किया जायेगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की कालावधि में किसी प्रकार के अन्य भत्ते अनुज्ञात नहीं होगें एवं राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि आदि की कटौती नियमानुसार नहीं होगी।
3. वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2006 के प्रावधान के तहत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के द्वारा परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने के उपरान्त भी परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि की वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जावेगी।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलैण्ड़र वर्ष में कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश देय होगा।
5. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर नियमानुसार पद पर स्थाईकरण किया जावेगा। प्रशिक्षण एवं स्थाईकरण के संबंध में प्रचलित नियम, परिपत्र इत्यादि लागू होंगे।
6. वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में नियत पारिश्रमिक से न्यू पेंशन स्कीम (एन.पी.एस.) में अंशदान की नियमानुसार कटौती होगी।
7. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार मेडीक्लेम इंशोरेन्स योजना प्रभावी होगी।
8. कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डी.ओ.पी./ए-II/95 दिनांक 08.04.2006 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के संबंध में कार्य ग्रहण करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् उत्पन्न संतानों की संख्या दो से अधिक होगी तो नियुक्ति आदेश स्वत: ही निरस्त माना जावेगा।
9. अभ्यर्थी को राजस्थान दहेज प्रतिशोध अधिनियम, 2004 के अनुसार विवाहित होने पर उपस्थिति देने के समय तथा अविवाहित होने पर विवाह के पश्चात निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है।
10. अभ्यर्थी को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.13 की पालना में धुम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने की वचन बद्धता (UNDERTAKING) देनी होगी।

:- forcejhq@gmail.com

11. यह नियुक्ति राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, आदेशों व शर्तो के अध्यधीन है।
12. अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण हेतु कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर पर उपस्थिति देने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा ।
13. यह कि अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 15.01.2019 को उपस्थिति प्रदान नहीं की जाती है तो नियुक्ति स्वत: ही निरस्त समझी जावें।

(भूपेन्द्र सिंह)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
4. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
5. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/श्रीगंगानगर/अलवर।
6. अधीक्षक प्रशिक्षण शाखा, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
7. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर।
8. उपाधीक्षक, जिला कारागृह, जयपुर/बीकानेर/बाडमेर/सवाईमाधोपुर/सिरोही।
9. श्री/सुश्री ....को प्रेषित कर लेख है कि दहेज न लेने के संबंध में, धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने एवं संतानों के संबंध में शपथ-पत्र, सलंग्न प्रपत्र अनुसार, आधार कार्ड (मूल) एवं मेडीकल के समय प्रस्तुत फोटो 6 प्रति में आवश्यक रूप लेकर निर्धारित तिथि को यथा समय पर अपनी उपस्थिति आधारभूत प्रशिक्षण हेतु प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर के समक्ष दिनांक 15.01.2019 को आवश्यक रूप से देवें। (शपथ-पत्रों के प्रारूप संलग्न है)
10. संबंधित की निजी पत्रावली /रक्षक पत्रावली।
11. कम्प्यूटर शाखा, मुख्यालय कारागार, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर